न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 06/2018

-: प्रार्थी :-	बनाम	-: अप्रार्थी :-
1. कल्पेश प्रजापति पुत्र मांगीलाल जाति-कुम्हार, निवासी-जनासनी तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी **तारीख रजू:.09/01/2018**

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 10/05/2018**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-जनासनी, पटवार हल्का-आगेवा, भू.अ.नि. क्षैत्र-आगेवा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 107-03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 37 कुल रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 4 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 25 रकबा 09-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 34/3 रकबा 09-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी अपने हक व हिस्से के अनुसार लगातार शांति पूर्वक काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कमलेश पुत्र मांगीलाल दर्ज है। जो गलत इन्द्राज है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक व रेकर्डेड नाम कल्पेश प्रजापति है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कमलेश लिख दिया गया है। जो प्रार्थी का बचपन का नाम था जबकि प्रार्थी का राजकीय दस्तावेजात में व अध्ययन के दस्तावेजात में वास्तविक नाम कल्पेश प्रजापति चला आ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र मांगीलाल के स्थान पर कल्पेश प्रजापति करने का आदेश फरमावे। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर प्रार्थी पटवार हल्का आगेवा में पटवारी के पास उक्त भूमि की नकलें लेने के लिए गया तब पटवारी हल्का द्वारा बताया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कमलेश चल रहा है इसलिए ऋण नही ले सकता है। तब प्रार्थी को प्रथम बार दिनांक 5/1/2018 को अपने नाम की राजस्व रेकर्ड में अशुद्धि होने की जानकारी हुई। तब प्रार्थी ने अपने नाम दुरूस्त करवाने का पटवारी हल्का से निवेदन किया तब उन्होनें कहा कि तहसीलदार के समक्ष दुरूस्तीकरण का आवेदन करे। तब प्रार्थी द्वारा उसी दिनांक 5/1/2018 को श्रीमान् तहसीलदार जैतारण के समक्ष आवेदन किया। तब उन्होनें श्रीमान् के समक्ष दावा करने की बात कही। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष नाम दुरस्ती हेतु अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में कमलेश

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

दर्ज है जो गलत इन्द्राज हो गया है इसलिए कमलेश के स्थान पर कल्पेश प्रजापति किया जावे प्रार्थी के अंक तालिका व राशन कार्ड, आधार कार्ड, व आयकर विभाग का पेनकार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, भारत गणराज्य द्वारा जारी पासपोर्ट दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में कल्पेश प्रजापति की दुरस्ती करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी को अपने नाम की अशुद्धि होने की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर म्याद पेश है व उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नाटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आगेवा में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम-जनासनी के खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 107-03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 37 कुल रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 4 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 25 रकबा 09-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 34/3 रकबा 09-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में कमलेश पुत्र मांगीलाल दर्ज हैं। परन्तु उसका वास्तविक नाम कल्पेश पुत्र मांगीलाल हैं। इस संबंध में राजस्व लोक अदालत अभियान में मजमेआम जांच की गई। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि कमलेश पुत्र मांगीलाल कौम-कुम्हार का सही व शुद्ध नाम कल्पेश पुत्र मांगीलाल कौम-कुम्हार हैं तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये दस्तावेज परिवार राशन कार्ड सं0 200001424581, आधार कार्ड सं0 279841679914 व मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल मार्कशीट में भी वादी का नाम कल्पेश पुत्र मांगीलाल दर्ज हैं। अतः वादी का नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान में कमलेश पुत्र मांगीलाल के स्थान पर कल्पेश पुत्र मांगीलाल दर्ज किया जाना उचित हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जबाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि कमलेश एवं कल्पेश एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः प्रार्थना पत्र के साक्ष्य सबूत में परिवार राशन कार्ड सं0 200001424581, आधार कार्ड सं0 279841679914 व मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल मार्कशीट की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम कल्पेश प्रजापति ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से कमलेश प्रजापति दर्ज नाम के स्थान पर कल्पेश प्रजापति पुत्र मांगीलाल कौम-कुम्हार दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–जनासनी, पटवार हल्का–आगेवा, भू.अ.नि. क्षैत्र–आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 107–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 37 कुल रकबा 24–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 4 रकबा 11–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 25 रकबा 09–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 34/3 रकबा 09–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम कमलेश के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम कल्पेश प्रजापति पुत्र मांगीलाल कौम–कुम्हार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

10/05/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आगेवा में सुनाया गया।

10/05/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner